स्त्रियों का महरम के बग़ैर यात्रा

इस्लामिक फ़िक्ह एकेडमी इण्डिया के उन्तीसवें फ़िक्ही सेमीनार का आयोजन 23 से 24 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 1 से 2 अक्टूबर सन् 2021 ई0 के विषयों में से एक महत्त्वपूर्ण विषय ''स्त्रियों का महरम के बिना यात्रा'' का है, इस विषय पर प्राप्त होने वाले समस्त लेखों, फिर तैयार होने वाले वर्तमान मुद्दों और इस पर होने वाले प्रस्तावों के प्रकाश में निम्नलिखित प्रस्ताव पूरे किये गयेः

1- स्त्रियों के यात्रा के लिए महरम को शर्त का आधार उपदव पर है। यदापी यात्रा शरई दूसरी से अधिक या कम हो। इसलिए अग उपदव का संदेह हो तो बिना महरम के एक स्त्री के लिए शरई दूरी से कम की यात्रा करना उचित नहीं होगा। हालांकि नमाज़ों में कमी और पूरा पढने में शरई दूरी की यात्रा पर होंगे।

2- सामान्य परिस्थितियों में एक स्त्री को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, भले ही एक सुरक्षित व्यवस्था सम्भव हो, हालांकि, अगर कोई महत्त्वपूर्ण आवश्यकता आ जाती है और पति या महरम का साथ सम्भव न हो, तो सुरक्षित यात्रा व्यवस्था के साथ यात्रा की अनुमति है।

3- चुंकि उमरा और हज की यात्रा लम्बे समय तक होता है और कई दिनों तक होता है इस पूरी अवधि में महिला को किसी पुरूष की सहायता की आवश्यकता पडती रहती है, जो बग़ैर पति या महरम के पूरी नहीं हो सकती है, शरई आदेशों से बचना बहुत कठिन है। इस लिए बग़ैर पति या महरम के बिना केवल भरोसेमन्द स्त्री के समूह के साथ औरतों के लिए यात्रा उमरा और हज पर जाना उचित न होगा। बूढी महिलाओं को तो और अधिक पुरूषों की मदद की आवश्यकता पडती है, इस लिए इनके लिए भी बग़ैर महरम के सिर्फ भरोसेमन्द महिलाओं के साथ जाने की अनुमति नहीं होगी।

4- कोई महिला महरम के मौजूद न होने या महरम के हज यात्रा का खर्च वहन करने की क्षमता न होने की दशा में भी हज कमेटी या हज टूर के समूहों के साथ बग़ैर महरम के हज यात्रा व उमरा पर नहीं जा सकती है।

5- हालांकि दफा 3 एवं 4 में हज यात्रा की ममानियात का उल्लेख है तो जिन पंत में महरम व पति के बग़ैर भरोसेमन्द महिलाओं के साथ भी हज यात्रा की अनुमति है उन पंथ के लोग अपने संप्रदाय या पंथ के अनुसार कार्य कर सकते हैं।

☆☆☆

नोटः 29वां फ़िक्ही सेमीनारए अल माहदुल आली हैदराबादए दिनांक 23 से 24 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 1 से 2 अक्टूबर सन् 2021 ई0